भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2012
उत्तर देने की तारीख- 11.12.2025

बाघ अभयारण्य से वनवासियों का पुनर्वास

+2012. डॉ. शशि थरूर:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत दस वर्षों में बाघ अभयारण्य से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने गांव स्थानांतरित किए गए हैं;

(ख) वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वैच्छिक रूप से किए गए ऐसे स्थानांतरणों की संख्या कितनी है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान संरक्षित क्षेत्रों से अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के अनैच्छिक या बलपूर्वक स्थानांतरण के संबंध में शिकायतों अथवा रिपोर्टों, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान बाघ अभयारण्य से स्थानांतरित परिवारों के पुनर्वास एवं मुआवजे हेतु आवंटित एवं वितरित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले पांच वर्षों के दौरान एफआरए फ्रेमवर्क के तहत गांवों को दूसरी जगह बसाने के प्रस्तावों को मंजूरी देने से पहले ग्राम सभाओं के साथ किए गए विचार विमर्श का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या स्वैच्छिक स्थानांतरण के सिद्धांत को दोहराते हुए राज्य सरकारों को कोई सलाह या परिपत्र जारी किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (ख): वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 2006 की धारा 38 V (5) और वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 4(2) के प्रावधानों के अनुसार मुख्य/महत्वपूर्ण बाघ आवास से गांवों के स्थानांतरण की प्रक्रिया स्वैच्छिक है। बाघ अभयारण्यों के भीतर से स्थानांतरित किए गए गांवों की कुल संख्या की जानकारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत इनपुट के आधार पर संकलित की जाती है। एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार, अनुसूचित जनजाति और अन्य वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के साथ पठित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार, कुल 257 गांवों को स्वेच्छा से बाघ अभयारण्यों से मुख्य/महत्वपूर्ण बाघ आवासों से स्थानांतरित किया गया है।

(ग) एनटीसीए ने सूचित किया है कि राज्य स्तरीय निगरानी समितियों और जिला स्तरीय कार्यान्वयन समितियों, जिन्हें प्रक्रिया की देखरेख का काम सौंपा गया है, द्वारा अनैच्छिक या जबरन स्थानांतरण की कोई रिपोर्ट नहीं की गई है। हालाँकि, जनजातीय कार्य मंत्रालय को विभिन्न नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) से सामूहिक प्रस्तुतियाँ और विभिन्न राज्यों में बाघ अभयारण्यों के भीतर स्थित विभिन्न ग्राम सभाओं से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें ओडिशा में सिमलीपाल बाघ अभयारण्य; मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती बाघ अभयारण्य; कर्नाटक में नागरहोल और काली बाघ अभयारण्य; महाराष्ट्र में तडोबा अंधेरी बाघ अभयारण्य; और छत्तीसगढ़ में अचानकमार और उदंती सीतानदी वन शामिल हैं, जिसमें बाघ अभयारण्यों के अंदर की चिंताओं, जिसमें बेदखली भी शामिल है, पर भी प्रकाश डाला गया है। शिकायतों की प्राप्ति के बाद, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों से वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 और वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अनिवार्य अधिकारों के निपटान के साथ-साथ ग्राम सभा और व्यक्तिगत रूप से प्रभावित परिवारों की सहमति को ध्यान में रखने का आग्रह किया है। इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बार-बार इन चिंताओं को एनटीसीए के साथ-साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संज्ञान में लाया है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रशासित केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) "प्रोजेक्ट टाइगर" से वित्तीय सहायता के साथ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बाघों के मुख्य/महत्वपूर्ण आवासों से परिवारों का पुनर्वास और स्थानांतरण किया जाता है। हालांकि, बाघ अभयारण्यों से स्थानांतरित किए गए परिवारों को मुआवजे के भुगतान का राज्य-वार विवरण एकत्र नहीं किया जाता है। जहां तक बाघ अभयारण्यों का संबंध है, जैसा कि एनटीसीए द्वारा सूचित किया गया है कि बाघों के मुख्य/महत्वपूर्ण आवासों से स्वैच्छिक गांव के स्थानांतरण के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता इस प्रकार हैः

वर्ष	राशि (करोड़ में)
2020-21	157.93
2021-22	170.58
2022-23	224.20
2023-24	346.10
2024-25	451.73

इसके अलावा, जैसा कि एनटीसीए द्वारा सूचित किया गया है कि ग्राम सभा के साथ परामर्श संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है जो पूरी तरह से यथोचित परिश्रम करते हैं जिसमें वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,

1972 और अनुसूचित जनजाति और अन्य वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में निहित पूर्व सूचित सहमति और स्वैच्छिकता शामिल है।

(च) एमओटीए ने अपने दिनांक 10.01.2025, 22.10.2025 के पत्रों के माध्यम से और शिकायतों के जवाब में एफआरए, 2006 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों को स्वैच्छिक स्थानांतरण के सिद्धांत को दोहराया है। इसके अलावा, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 ण (1) (ग) के तहत जारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (पर्यटन गतिविधियों के लिए मानक और बाघ परियोजना) दिशानिर्देश, 2012 भी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, जिसमें स्वैच्छिक स्थानांतरण के सिद्धांत की स्पष्ट रूपरेखा दी गई है, जिसे समय-समय पर विभिन्न रूपों में सभी राज्य सरकारों को दोहराया गया है।

*****